विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 363

दुर्ग, दिनांक 14/10/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 129
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक : 1001995096

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 01 / 10 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001995096, स्वीकृत भार 14 अश्व शक्ति, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत स्थापित है।
2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 14 अश्व शक्ति है।
3. अगस्त 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि नवंबर 2023 से जुलाई 2025 तक की अवधि में मीटर की सही रीडिंग एवं स्थल सत्यापन के बिना औसतन 2,411 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर विद्युत देयक जारी किए गए। उक्त अवधि की बिलिंग उचित आधार पर नहीं की गई है, अतः इसकी जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि उक्त विद्युत कनेक्शन पर पावर फैक्टर अधिभार/कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग गलत तरीके से की गई है। अतः लागू टैरिफ एवं नियमों के अनुसार इसकी समीक्षा कर अनुचित रूप से वसूल की गई राशि निरस्त की जानी चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रकरण में दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक की मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, उक्त विद्युत कनेक्शन में अगस्त 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या मीटर खराब रहने की अवधि में औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग उचित थी?
2. क्या मीटर खराब रहने की अवधि में लगाया गया पावर फैक्टर अधिभार/कैपेसिटर सरचार्ज उचित था?
3. क्या स्वीकृत भार, अधिकतम मांग तथा विद्युत कनेक्शन के प्रयोजन के अनुसार बिलिंग की गई थी?

6.4. विद्युत कनेक्शन का प्रयोजन

अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन का वास्तविक उपयोग सड़क बत्ती के प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, जबकि बिलिंग गणना पत्रक में उक्त कनेक्शन को वाटर वर्क्स श्रेणी के अंतर्गत दर्शाया गया है।

अतः विद्युत कनेक्शन के वास्तविक उपयोग एवं लागू टैरिफ प्रावधानों के अनुसार उसके प्रयोजन/श्रेणी का आवश्यक संशोधन किया जाना उचित होगा। संशोधित प्रयोजन के अनुसार विद्युत देयकों की पुनर्गणना लागू नियमों के अधीन की जाए।

6.5. वर्तमान अधिकतम मांग एवं भार वृद्धि

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर अधिकतम मांग 22 किलोवाट पाई गई है।

अतः यदि आवेदक द्वारा विद्युत भार में 25 किलोवाट की वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अनावेदकगण लागू नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर विचार कर भार वृद्धि की आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि सितंबर 2023 से जुलाई 2025 तक मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की अभिलेखों, उपयुक्त खपत आधार एवं लागू नियमों के अनुसार पुनर्गणना करें तथा आवश्यकतानुसार विद्युत देयकों में संशोधन करें।

2. अनावेदकगण मीटर खराब रहने की संबंधित अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर अधिभार/कैपेसिटर सरचार्ज की राशि को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित करें।

3. अनावेदकगण विद्युत कनेक्शन के स्वीकृत भार एवं अभिलेखों में दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर लागू प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत भार के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही करें। तदनुसार अधिकतम मांग के संबंध में की गई बिलिंग में आवश्यक संशोधन करें।

4. अनावेदकगण विद्युत कनेक्शन के वास्तविक प्रयोजन के अनुसार प्रयोजन/श्रेणी निर्धारित करें तथा तदनुसार बिलिंग में आवश्यक संशोधन करें।

5. यदि आवेदक द्वारा भार वृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अनावेदकगण लागू नियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत अभिलेखों, मीटर रीडिंग डायरी, बिलिंग गणना पत्रक एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

6.1. मीटर खराब रहने की अवधि की बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से पाया जाता है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर सितंबर 2023 से जुलाई 2025 तक खराब रहा। अगस्त 2025 में उक्त परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग विवरण के अनुसार औसत खपत लगभग 1,763 यूनिट प्रतिमाह दर्ज की गई, जबकि मीटर खराब रहने की अवधि में औसतन 2,411 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की जाती रही।

दोनों अवधियों की औसत खपत में अंतर पाए जाने के कारण मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की उपलब्ध अभिलेखों, उपयुक्त खपत आधार एवं लागू नियमों के अनुसार पुनर्गणित कर आवश्यक संशोधन किया जाना उचित होगा।

6.2. पावर फैक्टर अधिभार/कैपेसिटर सरचार्ज

अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि मीटर खराब रहने की अवधि में उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर पावर फैक्टर अधिभार/कैपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग की गई थी।

मीटर खराब रहने की अवधि में उक्त अधिभार को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित किया जाना उचित होगा।

6.3. स्वीकृत भार एवं अधिकतम मांग

अभिलेखों के अनुसार उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 14 अश्व शक्ति है, जो लगभग 10.4 किलोवाट के बराबर होता है। उपलब्ध मीटर संबंधी अभिलेखों में फरवरी 2023 से अधिकतम मांग लगभग 11 किलोवाट दर्ज होने का उल्लेख है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों एवं लागू प्रावधानों के अनुसार विद्युत कनेक्शन के स्वीकृत भार का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित है। मई 2023 से 11 किलोवाट के आधार पर स्वीकृत भार के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की जाए तथा उक्त पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप अधिकतम मांग के संबंध में लगाए गए अधिभार/दंड की पुनर्गणना की जाए। जो राशि लागू नियमों के अनुसार देय नहीं हो, उसे निरस्त कर बिलिंग में आवश्यक संशोधन किया जाना उचित होगा।

6. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

7. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

8. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

9. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

10. आदेश पारित।

11. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग